रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-07062024-254595
CG-GJ-E-07062024-254595

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946
No. 394] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 4 जून, 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुक-कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएँ) विनियम, 2024

सं. आईएफएससीए/जीएन/2024/003.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय I प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुक-कीपिंग, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन \सेवाएं) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

उद्देश्य

2. इन विनियमों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों से बुक-कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाओं के विकास, रजिस्ट्रीकरण और संचालन से संबंधित नियामक ढांचा स्थापित करना है।

परिभाषाएँ

3. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का अर्थ नीचे दिए अनुसार होगा -

(क) “अधिनियम” का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से है;

(ख) “लेखा सेवाओं” में निम्नांकित शामिल हैं:-

(i) बिना किसी सत्यापन या आश्वासन के वार्षिक और अंतरिम वित्तीय विवरणों या अन्य लेखा सूचनाओं की समीक्षा करना;

(ii) परिणामी विवरणों की सटीकता के बारे में कोई सत्यापन या आश्वासन दिए बिना ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी से वित्तीय विवरणों का संकलन;

(iii) वित्तीय विवरणों की तैयारी;

(iv) आय विवरण, तुलनपत्र या अन्य वित्तीय जानकारी का संकलन;

(v) वित्तीय विवरणों का विश्लेषण;

(vi) मूल्यांकन सहायता सेवाओं सहित उपरोक्त में से किसी के संबंध में अन्य संबंधित लेखा सहायता सेवाएँ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के अंतर्गत लेखांकन सेवाओं में लेखा- परीक्षा सेवाएँ शामिल नहीं हैं।

(ग़) "सहायक सेवा प्रदाता" का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (जिसे आगे 'सहायक सेवा ढांचा' कहा जाएगा) में सहायक सेवाओं को सक्षम करने के लिए 10 फरवरी, 2021 के फ्रेमवर्क के अधीन बुक-कीपिंग, लेखांकन और/या कराधान सेवाएं प्रदान करने वाला सेवा प्रदाता से है;

(घ) "प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;

(ड़) "बुक-कीपिंग सेवाओं" में निम्नांकित शामिल हैं:-

बही खातों और अन्य संबंधित दस्तावेजों में धन या माप की किसी अन्य इकाई के संदर्भ में पेरोल लेजर सहित लेनदेन को वर्गीकृत और अभिलेखित करना;

स्पष्टीकरण : इस खंड के अंतर्गत बुक-कीपिंग सेवाओं में पेरोल और कराधान सेवाएं शामिल नहीं हैं।

च) “वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं” में धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिषेध (सीएफटी) उपायों और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों और अन्य संबंधित कार्यकलापों के अनुपालन के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं शामिल हैं;

छ) “समूह एंटिटी” में निम्नलिखित संबंधों (i) मूल-सहायक कंपनी (इंड-एएस 110/एएस 21 के अनुसार); (ii) संयुक्त उद्यम (इंड-एएस 28/एएस 27 के अनुसार); (iii) एसोसियेट (इंड-एएस 28/एएस 23 के अनुसार); (iv) सामान्य ब्रांड नाम; (v) 20 प्रतिशत और उससे अधिक के इक्विटी शेयरों/पूंजी योगदान में निवेश; या (vi) नेटवर्क के हिस्से में से किसी के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या अधिक एंटिटियों को शामिल करने वाली व्यवस्था शामिल है;

स्पष्टीकरण: खंड (छ) के प्रयोजन के लिए 'नेटवर्क' का अर्थ फर्मों के समूह की ऐसी बड़ी संरचना से है जो संसाधनों को एकत्रित करके, अपनी संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन करके, तथा एक समान नीतियों, प्रौद्योगिकी और संपार्श्विकों के साथ पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ आई हैं, तथा स्वयं को एक बड़ी इकाई के रूप में प्रदर्शित करती हैं, जिसमें एक प्रमुख फर्म सदस्य-फर्मों की ओर से कार्य करती है।

(ज) "बीएटीएफ सेवा प्रदाता" का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत एंटिटी से होगा जो निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी एक को पूरा करेगी:-

(i) बहीखाता सेवाएँ;

(ii) लेखा सेवाएँ;

(iii) कराधान सेवाएँ;

(iv) वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएँ।

झ) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" या "आईएफएससी" का वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है;

ञ) "अनिवासी" का अभिप्राय विदेशी मुद्रा प्रबंधन, अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत भारत से बाहर निवासी व्यक्ति है तथा इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाइयाँ भी शामिल होंगी;

ट) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ "बीएएफटी सेवाओं" का अभिप्राय बहीखाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाओं से होगा;

ठ) "निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा" का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 की प्रथम अनुसूची या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अन्य विनियमन में निर्दिष्ट मुद्राओं से है;

ड) "कराधान सेवाएं" का अभिप्राय कर परामर्श, कर तैयारी या कर नियोजन की सेवाएं हैं और इसमें करों के संबंध में सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना और साथ ही सभी प्रकार के कर रिटर्न तैयार करना और दाखिल करना शामिल है;

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए 'कर' में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर, उपकर, शुल्क या लेवी के सभी रूप शामिल होंगे।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, किन्तु अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या उनके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन में, जैसा भी मामला हो, क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं।

अध्याय II

बीएटीएफ सेवा प्रदाता की स्थापना

रजिस्ट्रीकरण

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सहायक सेवा प्रदाता को छोड़कर, इन विनियमों के अनुसार प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना आईएफएससी में बीएटीएफ सेवाएँ प्रदान नहीं करेगा।

(2) बीएटीएफ सेवाएँ प्रदान करने इच्छा रखने वाला कोई सहायक सेवा प्रदाता, इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर, इन विनियमों के अधीन संचालन करने की अपनी इच्छा को प्राधिकरण को यथा निर्दिष्ट रूप और तरीके से सूचित करेगा।

(3) अपनी इच्छा को सूचित करने वाले सहायक सेवा प्रदाता को इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से लेकर प्राधिकरण से निरंतरता पत्र प्राप्त होने तक विनियम 8 और 9 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

5. (1) बीएटीएफ की सभी या कोई भी सेवाएँ प्रदान करने का इच्छुक आवेदक, प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन के साथ प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा।

(3) ऐसा आवेदन जो सभी मामलों में पूर्ण नहीं है, उसे इन विनियमों के अंतर्गत यथा-निर्दिष्ट तरीके से अस्वीकृत का दिया जाएगा।

(4) बीएटीएफ सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक आवेदक को आईएफएससी में या तो कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के रूप में स्थापित होना आवश्यक होगा।

(5) आवेदक एंटिटी के प्रवर्तक ऐसे क्षेत्राधिकार से होंगे, जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में "कार्रवाई के लिए आह्वान के अध्यधीन-उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार" के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया

6. (1) विनियम 5 के अंतर्गत किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण आवेदक को यथा-निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

(2) आवेदन पर विचार करने के पश्चात, यदि प्राधिकरण की राय है कि कुछ कमियों के कारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो वह आवेदक को इसकी सूचना देगा तथा उसे सूचना की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर उनमें सुधार करने की सलाह देगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि आवेदक को लिखित रूप से प्रस्तुतियाँ देने का उचित अवसर दिए बिना कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(3) इस विनियमन के अंतर्गत बीएटीएफ सेवा प्रदाता को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे प्राधिकरण द्वारा रद्द नहीं किया जाता, या बीएटीएफ सेवा प्रदाता द्वारा इन विनियमों के अनुसार वापस नहीं कर दिया जाता है।

बशर्ते कि बीएटीएफ सेवा प्रदाताओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को वापस किया जाना प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी होगा।

(4) बीएटीएफ सेवा प्रदाता पूर्व में प्रस्तुत की गई सूचना या विवरण में किसी भी भौतिक परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित रखेंगे।

अध्याय III

उपयुक्त और उचित आवश्यकताएँ

उपयुक्त और उचित आवश्यकताएँ

7. (1) बीएटीएफ सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि एंटिटी और उसके प्रमुख अधिकारी, निदेशक/भागीदार/ नामित भागीदार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नियंत्रक शेयरधारक हर समय उपयुक्त और उचित व्यक्ति हों।

(2) उप-विनियमन (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को उपयुक्त और उचित व्यक्ति माना जाएगा यदि:-

(क) ऐसे व्यक्ति का निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा का रिकॉर्ड है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं हैं-

(i) वित्तीय सत्यनिष्ठा;

(ii) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; और

(iii) ईमानदारी।

(ख) ऐसे व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी अयोग्यता नहीं पाई गई है:-

I. व्यक्ति को नैतिक अधमता या किसी आर्थिक अपराध से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो;

II. किसी वैधानिक निकाय या वित्तीय नियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध वसूली कार्यवाही शुरू की गई हो और लंबित हो;

III. व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार के लिए समापन का आदेश पारित किया गया है;

IV. व्यक्ति को अनुन्मोचित दिवाला घोस्थित नहीं किया गया है;

V. किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति को वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, प्रदान करने या उनमें लेनदेन करने से रोकने, निषिद्ध करने या वर्जित करने वाला कोई आदेश पारित किया गया है, और आदेश में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है;

VI. व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य आदेश प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है, और आदेश की तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है;

VII. व्यक्ति को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मानसिक स्थिति में पाया गया है और निष्कर्ष प्रभावी है;

VIII. व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं है या उसे जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

IX. व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है; या

X. प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता.

अध्याय IV

सुरक्षा शर्तें

8. आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आईएफएससी में उनका व्यवसाय -

1. भारत में पहले से उपलब्ध व्यवसाय का विभाजन करके; या
2. भारत में पहले से उपलब्ध व्यवसाय का पुनर्निर्माण करके; या
3. भारत में पहले से उपलब्ध व्यवसाय का पुनर्गठन करके स्थापित न हो।

स्पष्टीकरण: भारत में पहले से उपलब्ध किसी व्यवसाय के विभाजन, पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के निर्धारण के उद्देश्य से, आवेदक को प्रथम अनुसूची के भाग-क में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

9. बीएटीएफ सेवा प्रदाता भारत में अपने समूह निकायों से विद्यमान अनुबंधों या कार्य व्यवस्थाओं को हस्तांतरित करने या प्राप्त करने के माध्यम से बीएटीएफ सेवाएं प्रदान नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियमन के उद्देश्य के लिए, "भारत में अपने समूह निकायों से विद्यमान अनुबंधों या कार्य व्यवस्थाओं को हस्तांतरित करने या प्राप्त करने" की व्याख्या प्रथम अनुसूची के भाग-ख के अनुसार होगी।

अध्याय् V

सेवा प्राप्तकर्ता

10. बीएटीएफ सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा प्राप्तकर्ता एक अनिवासी है और वह ऐसे क्षेत्राधिकार से नहीं है जिसे वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स के सार्वजनिक बयान में " कार्रवाई के लिए आह्वान के अध्यधीन-उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार" के रूप में चिह्नित किया गया है।

अध्याय VI

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

11. (1) बीएटीएफ सेवा प्रदाता एक प्रधान अधिकारी को नामित करेगा जो आईएफएससी में अपने समग्र कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, बीएटीएफ सेवा प्रदाता एक अनुपालन अधिकारी को भी नामित करेगा जो नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन, अभिलेखों के रखरखाव और इन विनियमों और लागू अन्य लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के अलावा, निदेशक मंडल या संगठन के प्रमुख को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) बीएटीएफ सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी आईएफएससी से बाहर स्थित हों और निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हों:-

(क) व्यावसायिक रूप से योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सचिव (सीएस), लागत और प्रबंधन लेखाकार (सीएमए), प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए), चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) या व्यावसायिक निकायों या संस्थानों से कोई अन्य समकक्ष योग्यता या वित्त, लेखा, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कराधान में स्नातकोत्तर डिग्री या भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में यूजीसी या एआईसीटेअई या ऐसे अन्य समकक्ष प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में डिग्री।

बशर्ते कि बीएटीएफ सेवा प्रदाता का प्रधान अधिकारी, जो वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएँ प्रदान कर रहा हो, वित्तीय अपराध अनुपालन में किसी प्रतिष्ठित विदेशी या देशीय संस्थान से प्रासंगिक योग्यता भी रखता हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति प्रधान अधिकारी या अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास प्रासंगिक क्षेत्र का क्रमशः पाँच (5) वर्ष और तीन (3) वर्ष से कम का अनुभव न हो।

अध्याय VII

विविध

न्यूनतम कार्यालय स्थान मापदंड

12. बीएटीएफ सेवा प्रदाता आईएफएससी में प्रति कर्मचारी 60 वर्ग फीट की न्यूनतम कालीन क्षेत्र की कार्यालय जगह सुनिश्चित करेगा।

संचालन की मुद्रा

13. (1) बीएटीएफ सेवा प्रदाता किसी भी निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में अपना संचालन करेगा।

बशर्ते कि बीएटीएफ सेवा प्रदाता को अपने प्रशासनिक और वैधानिक खर्चों को पूरा करने और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए आईएनआर खाता रखने की अनुमति होगी, जो लागू कानूनों के अधीन अनुमत हो होगी।

(2) प्रत्येक बीएटीएफ सेवा प्रदाता किसी भी निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में अपने तुलनपत्र का रखरखाव करेगा।

रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

14. (1) बीएटीएफ सेवा प्रदाता प्राधिकरण को अपने संचालन से संबंधित जानकारी, ऐसे तरीके, अंतराल और रूप में प्रस्तुत करेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) बीएटीएफ सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को कोई भी वित्तीय रिपोर्टिंग अमेरिकी डॉलर में होगी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

(3) बीएटीएफ सेवा प्रदाता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, विनियमन 8 और 9 सहित इन विनियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए, एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के प्रेक्टिसरत व्यावसायिक अर्थात् सीए, सीएस या सीएमए द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति

15. (1) प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, आईएफएससी में वित्तीय बाजार के विकास के हित में, इन विनियमों की किसी भी आवश्यकता के सख्त प्रवर्तन में ढील दे सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए, विवरण और जिन आधारों पर ऐसी छूट मांगी गई है, उन्हें देते हुए एक आवेदन प्राधिकरण के पास प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ फाइल किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण ऐसे आवेदन को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर संसाधित करेगा, जो मांगे गए स्पष्टीकरणों के जवाबों सहित सभी मामलों में पूर्ण होगा और आवेदक द्वारा मांगी गई छूट को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करेगा।

मानदंड, प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करने, स्पष्टीकरण जारी करने और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

16. (1) इन विनियमों और इसके आनुषंगिक मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निर्देशों के माध्यम से मानदंड, प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं, अतिरिक्त आवश्यकताएं आदि निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) प्राधिकरण इन विनियमों के उपबंधों की व्याख्या या अनुप्रयोग में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से निदेश जारी कर सकता है।

शुल्क का भुगतान

17. बीएटीएफ सेवा प्रदाता ऐसे शुल्क या प्रभार का भुगतान करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

चूक के मामले में कार्रवाई

18. (1) बीएटीएफ सेवा प्रदाता जो इन विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों या इसके अधीन बनाए गए निदेशों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्द करना शामिल है, लेकिन यह उतने तक ही सीमित नहीं है।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कोई भी प्रवर्तन कार्रवाई बीएटीएफ सेवा प्रदाता को अपनी दलीलें रखने के लिए उचित अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

निरसन और व्यावृत्तियाँ

19. (1) सहायक सेवा ढांचे के खंड 1.ग (ii) और अनुलग्नक I की मद संख्या 2 में लेखांकन, बहीखाता और कराधान सेवाओं का संदर्भ इन विनियमों के प्रारंभ होने से साठ (60) दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा।

(2) इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक सहायक सेवा प्रदाता, जिसे निरंतरता पत्र जारी किया गया है, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./168/2024-25]

प्रथम अनुसूची

सुरक्षा शर्तें

भाग-क

(विनियमन 8 देखें)

1. भारत में पहले से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन, पुनर्निर्माण और पुनर्गठन की शर्तों का अनुपालन करते समय, आवेदक को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:-

(क) **कार्यबल अपेक्षा**: वित्तीय वर्ष के अंत में भारत स्थित इसकी किसी भी समूह एंटिटियों से स्थानांतरित/पुनर्स्थापित कर्मचारियों की संख्या बीएटीएफ सेवा प्रदाता के साथ कार्यरत कुल कर्मचारियों के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट:

(i) किसी कर्मचारी को नया कर्मचारी माना जाएगा यदि वह बीएटीएफ सेवा प्रदाता के साथ अपने रोजगार की तारीख से ठीक पहले बारह (12) महीने की अवधि के लिए भारत में इसके किसी भी समूह एंटिटी में कार्यरत नहीं था।

(ii) ऊपर निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से लगातार दस (10) वित्तीय वर्षों के लिए हर वर्ष किया जाएगा। इस तरह के पहले अनुपालन की जांच पहले पूर्ण वित्तीय वर्ष के अंत में की जाएगी।

(ख) **परिसंपत्ति अपेक्षा:** भारत में किसी भी समूह एंटिटी से बीएटीएफ सेवा प्रदाता को परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होना चाहिए।

भाग-ख

(विनियमन 9 देखें)

2. बीएटीएफ सेवा प्रदाता और उसके सेवा प्राप्तकर्ताओं के बीच अनुबंध या कार्य व्यवस्था को निम्नलिखित परिदृश्यों में "भारत में उनकी समूह एंटिटियों से विद्यमान अनुबंधों या कार्य व्यवस्थाओं का हस्तांतरण या प्राप्ति" समझा जाएगा:-

(क) **भारत में विद्यमान अनुबंधों या कार्य व्यवस्थाओं का हस्तांतरण:** जब भारत में बीएटीएफ सेवा प्रदाता की किसी भी समूह एंटिटी और उसके गैर-निवासी ग्राहक के बीच विद्यमान अनुबंध या कार्य व्यवस्था, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाए, ऐसे अनुबंध या कार्य व्यवस्था के अस्तित्व के दौरान बीएटीएफ सेवा प्रदाता को स्थानांतरित या हस्तांतरित कर दी जाएगी।

(ख) **भारत में विद्यमान अनुबंधों या कार्य व्यवस्थाओं की समाप्ति:** जब भारत में बीएटीएफ सेवा प्रदाता की किसी समूह एंटिटी और उसके अनिवासी ग्राहक के बीच विद्यमान अनुबंध या कार्य व्यवस्था, चाहे किसी भी नाम से जानी जाए, को समय से पहले समाप्त कर दिया जाएगा और बीएटीएफ सेवा प्रदाता और उसी सेवा प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक नया अनुबंध या कार्य व्यवस्था हस्ताक्षरित की जाएगी।

(ग) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट अन्य परिदृश्य।

दूसरी अनुसूची

सहायक सेवा ढांचे के अंतर्गत एंटिटियों के लिए शर्तें

(विनियमन 19 देखें)

1. कोई सहायक सेवा प्रदाता, जिसे प्राधिकरण से निरंतरता पत्र प्राप्त हुआ है, इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए अपने विद्यमान कानूनी स्वरूप में बीएटीएफ सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकता है।

2. ऐसा सहायक सेवा प्रदाता इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के भीतर इन विनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा, अन्यथा उसे आईएफएससी से बीएटीएफ सेवाएं लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. ऐसा सहायक सेवा प्रदाता आईएफएससी में अपने अन्य विद्यमान परिचालनों से अपने बीएटीएफ सेवा परिचालन को अलग रखेगा।

4. ऐसे सहायक सेवा प्रदाता, जो बीएटीएफ सेवाएँ प्रदान करते हैं, विनियम 8, 9 और 14 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

बशर्ते कि विनियम 8 और 9 में निर्दिष्ट अपेक्षाएँ इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले ऐसे सहायक सेवा प्रदाता पर लगाए गए विद्यमान अनुबंधों, जनशक्ति और परिसंपत्तियों पर लागू नहीं होंगी।

इसके अतिरिक्त बशर्ते यह भी कि, विनियम 8 और 9 में निर्दिष्ट अपेक्षाएँ, विनियमन 5 के उप-विनियम 4 के अधीन निर्दिष्ट अपेक्षा के अनुपालन के लिए ऐसे सहायक सेवा प्रदाता से ऐसे सहायक सेवा प्रदाता द्वारा गठित नई निगमित एंटिटी में बीएटीएफ सेवाओं के प्रत्यावर्तन के समय लागू नहीं होंगी।

5. ऐसे सहायक सेवा प्रदाता इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के भीतर विनियम 11 और 12 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेंगे।

6. ऐसे सहायक सेवा प्रदाता, जो बीएटीएफ सेवाएँ प्रदान करते हैं, प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करेंगे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 4th June, 2024

International Financial Services Centres Authority (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services) Regulations, 2024

No. IFSCA/GN/2024/003.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28, read with sub-section (1) of Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely: -*

CHAPTER I PRELIMINARY

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services) Regulations, 2024.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Objective

2. These regulations aim to put in place the regulatory framework relating to development, registration and operations of Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services from International Financial Services Centres.

Definitions

3. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them herein below -

(a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(b) "accounting services" includes:-

(i) reviewing annual and interim financial statements or other accounting information without any attestation or assurance thereof;

(ii) compilation of financial statements from information provided by the client, without giving any attestation or assurances regarding the accuracy of the resulting statements;

(iii) preparation of financial statements;

(iv) compilation of income statements, balance sheets or other financial information;

(v) analysis of financial statements;

(vi) other related accounting support services in relation to any of the above including valuation support services.

Explanation*:* Accounting Services under this clause do not include auditing services.

(c) "Ancillary Service Provider" means the service provider providing Book-keeping, Accounting and/or Taxation services under Framework dated February 10, 2021, for enabling Ancillary services at International Financial Services Centres (hereinafter referred to as 'Ancillary Services Framework');

(d) "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(e) "book-keeping services" includes:-

classifying and recording transactions including payroll ledgers in terms of money or any other unit of measurement in the books of account and other related documents;

Explanation: Book-keeping Services under this clause do not include payroll and taxation services.

(f) "financial crime compliance services" includes services rendered in relation to compliances of Anti-Money Laundering (AML) / Countering the Financing of Terrorism (CFT) measures and Financial Action Task Force (FATF) recommendations, and other related activities;

(g) "group entities" includes an arrangement involving two or more entities related to each other through any of the following relationships: (i) parent- subsidiary (as per Ind-AS 110/AS 21); (ii) joint venture (as per Ind-AS 28/AS 27); (iii) associate (as per Ind-AS 28/AS 23); (iv) common brand name; (v) investment in equity shares/capital contribution of 20 per cent and above; or (vi) part of a network;

Explanation: For the purpose of clause (g) 'Network' shall mean a larger structure of a group of firms that have come together for mutual benefits by pooling resources, showcase their combined strength, and have uniform policies, technology and collaterals, and showcase themselves as one big unit, with one lead firm acting on behalf of the member-firms.

(h) "BATF Service Provider" shall mean the entity registered under these regulations to undertake all or any of the following:-

(i) book-keeping services;

(ii) accounting services;

(iii) taxation services;

(iv) financial crime compliance services.

(i) "International Financial Services Centre" or "IFSC" shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(j) "Non-resident" means a person resident outside India under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and shall also include units in International Financial Service Centre;

(k) "BATF Services" shall, for the purpose of these regulations, collectively mean book-keeping, accounting, taxation and financial crime compliance services;

(l) "Specified Foreign Currency" means the currencies specified in the First Schedule of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 or any other regulation issued by the Authority;

(m) "taxation services" means services of tax consultation, tax preparation or tax planning and includes providing advice and guidance concerning taxes as well as preparing and filing of tax returns of all kinds;

Explanation – For the purpose of this clause 'Taxes' shall include all forms of direct or indirect taxes, cesses, duties or levies.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or Companies Act, 2013 (18 of 2013) or Limited Liability Partnership Act 2008 (6 of 2009) or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

SETTING UP OF A BATF SERVICE PROVIDER

Registration

4. (1) No person, except an Ancillary Service Provider, shall provide BATF Services in an IFSC without obtaining certificate of registration from the Authority, in accordance with these regulations.

(2) An Ancillary Service Provider, intending to provide BATF Services shall, within a period of sixty (60) days from the date of commencement of these regulations, communicate its willingness to operate under these regulations to the Authority, in such form and manner as may be specified.

(3) The Ancillary Service Provider communicating its willingness shall ensure compliance of regulation 8 and 9, from the date of commencement of these regulations until it receives a letter of continuation from the Authority.

Application for Registration

5. (1) An applicant desirous of providing all or any of the BATF Services shall submit an application to the Authority, for grant of certificate of registration, in the format and in the manner, as may be specified by the Authority.

(2) The application under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee, as may be specified by the Authority.

(3) An application which is not complete in all respects shall be liable to be rejected, in the manner as specified under these regulations.

(4) The applicant desirous of providing BATF Services shall be required to be set up in IFSC either in the form of a Company or Limited Liability Partnership.

(5) The promoters of the applicant entity shall be from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as "High Risk Jurisdiction- subject to call for action".

Procedure for grant of certificate of registration

6. (1) After considering the application made under regulation 5, the Authority may grant certificate of registration to the applicant, subject to such conditions, as may be specified.

(2) After considering the application, if the Authority is of the opinion that the certificate of registration cannot be granted due to certain deficiencies, it shall communicate the same to the applicant advising it to rectify those within thirty (30) days from the date of communication, failing which the application is liable to be rejected.

Provided that no application shall be rejected without giving the applicant a reasonable opportunity to make written submissions.

(3) The certificate of registration granted to BATF Service Provider under this regulation shall be valid unless cancelled by the Authority, or surrendered by the BATF Service Provider, in accordance with these regulations.

Provided that the surrender of certificate of registration by the BATF Service Provider shall be effective only after approval by the Authority.

(4) The BATF Service Provider shall keep the Authority informed of any material change in the information or particulars previously furnished.

CHAPTER III

FIT AND PROPER REQUIREMENTS

Fit and Proper Requirements

7. (1) The BATF Service Provider shall ensure that the entity and its principal officer, directors/ partners/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders are fit and proper persons, at all times.

(2) For the purpose of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a fit and proper person if :-

(a) such a person has a record of fairness and integrity, including but not limited to-

(i) financial integrity;

(ii) good reputation and character; and

(iii) honesty.

(b) Such a person has not incurred any of the following disqualifications :-

(i) the person has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence;

(ii) a recovery proceeding has been initiated against the person by a statutory body or financial regulatory authority and is pending;

(iii) an order for winding up has been passed against the person for malfeasance;

(iv) the person has been declared an undischarged insolvent;

(v) an order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing, providing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority, and a period of three (3) years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;

(vi) any other order against the person, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three (3) years from the date of the order has not elapsed;

(vii) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;

(viii) the person is financially not sound or has been categorised as a wilful defaulter;

(ix) the person has been declared a fugitive economic offender; or

(x) any other disqualification as may be specified by the Authority.

CHAPTER IV

SAFEGUARDING CONDITIONS

8. The applicant shall ensure that their business in IFSC is not set up either by –

(1) splitting up of business already in existence in India; or

(2) reconstructing of business already in existence in India; or

(3) reorganising of a business already in existence in India.

Explanation: For the purpose of determination of splitting up, reconstruction and reorganization of any business already in existence in India, the applicant shall adhere to the requirements specified in Part-A of First Schedule.

9. The BATF Service Provider shall not offer BATF Services by way of transferring or receiving of existing contracts or work arrangements from their Group Entities in India.

***Explanation**:* For the purpose of this regulation, the interpretation of "transferring or receiving of existing contracts or work arrangements from their group entities in India" shall be as per Part-B of First Schedule.

CHAPTER V

SERVICE RECIPIENT

Service Recipient

10. The BATF Service Provider shall ensure that the service recipient is a non-resident and is not from a jurisdiction which has been identified in the public statement of Financial Action Task Force as "High Risk Jurisdiction- subject to call for action".

CHAPTER VI

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Appointment of Principal Officer and Compliance Officer

11. (1) The BATF Service Provider shall designate a Principal Officer who shall be responsible for its overall activities in IFSC.

(2) In addition to the above, the BATF Service Provider shall also designate a Compliance Officer who shall be responsible for reporting to the Board of Directors or head of the organization, as the case maybe, besides the compliance of policies, procedures, maintenance of records and the implementation of the requirements as specified under these regulations and other applicable laws in force.

(3) The BATF Service Provider shall ensure that its Principal Officer and Compliance Officer are based out of IFSC and meet the following requirements:-

(a) A professionally qualified Chartered Accountant (CA), Company Secretary (CS), Cost and Management Accountant (CMA), Certified Public Accountant (CPA), Chartered Financial Analyst (CFA) or any other equivalent qualifications from professional bodies or institutes or a post-graduate degree in finance, accountancy, business management, commerce, economics, taxation or a degree in law from a university or an institution recognized by the UGC or AICTE or such other equivalent authority in India or a foreign jurisdiction.

Provided that the Principal Officer of a BATF Service Provider, who is providing Financial Crime Compliance Services, shall also hold relevant qualification from a reputed foreign or domestic institution in financial crime compliance.

(b) No person shall be eligible to be appointed as Principal Officer or Compliance Officer, unless he has the experience in the relevant field of not less than five (5) years and three (3) years, respectively.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

Minimum office space criteria

12. The BATF Service Provider shall ensure office space in IFSC of minimum carpet area computed at 60 sq. ft. per employee.

Currency of Operations

13. (1) The BATF Service Provider shall carry out its operation in any Specified Foreign Currency.

Provided that the BATF Service Provider shall be permitted to have an INR account to defray their administrative and statutory expenses and for such other purposes as may be permitted under the applicable laws.

(2) Every BATF Service Provider shall maintain its balance sheet in any Specified Foreign Currency.

Reporting Requirements

14. (1) The BATF Service Provider shall furnish information relating to its operations to the Authority, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority.

(2) Any financial reporting by the BATF Service Provider to the Authority shall be in US Dollar, unless otherwise specified by the Authority.

(3) The BATF Service Provider shall submit a certificate, issued by an independent third party practicing professional namely, CA, CS or CMA, certifying compliance of the requirements specified in these regulations including that of regulation 8 and 9, within ninety (90) days from the closure of each Financial Year.

Power to relax strict enforcement of the regulations

15. (1) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of development of financial market in IFSC, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee as may be specified by the Authority.

(3) The Authority shall process such application within sixty (60) days of the date of receipt of the application, complete in all respects, including responses to clarifications sought and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant.

Power to specify norms, procedures, issue clarifications and remove difficulties

16. (1) For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, additional requirements, etc. by way of circulars or guidelines or directions.

(2) In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions through guidance notes or circulars.

Payment of Fees

17. The BATF Service Provider shall pay such fee or charges as may be specified by the Authority from time to time.

Action in Case of Default

18. (1) The BATF Service Provider who contravenes any of the provisions of these regulations, guidelines, circulars or direction made thereunder, shall be liable for enforcement action under the Act, including but not limited to suspension or cancellation of registration.

(2) No enforcement action as referred to in sub-regulation (1) shall be taken without giving reasonable opportunity to the BATF Service Provider to make its submissions.

Repeal and Savings

19. (1) The reference to Accounting, Book-keeping and Taxation Services in clause 1.C (ii) and item no. 2 of Annexure I of the Ancillary Services Framework shall stand omitted after sixty (60) days from the commencement of these regulations.

(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, an Ancillary Service Provider, who has been issued a letter of continuation, shall adhere to the conditions specified in the Second Schedule.

K. RAJARAMAN**,** Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./168/2024-25]

FIRST SCHEDULE

SAFEGUARDING CONDITIONS

PART- A

(Refer Regulation 8)

1. While complying with conditions on splitting up, reconstruction and reorganization of any business already in existence in India, the applicant shall adhere to the following requirements:-

(a) **Workforce Requirement**: The number of employees transferred/relocated from any of its Group Entities in India as at the end of the financial year do not exceed 20% of the total employees employed with the BATF Service Provider.

Note:

(i) An employee shall be treated as a new employee if he was not employed in any of its Group Entities in India for a period of twelve (12) months immediately preceding his date of employment with the BATF Service Provider.

(ii) The condition(s) specified above shall be complied with every year for ten (10) consecutive financial years from the date of issuance of certificate of registration. The first such compliance shall be examined at the end of the first full financial year.

(b) **Asset Requirement:** There should not be any transfer of assets from any of the Group Entities in India to the BATF Service Provider.

PART-B

(Refer Regulation 9)

2. Contracts or work arrangement between a BATF Service Provider with its service recipients shall be construed as “transferring or receiving of existing contracts or work arrangements from their group entities in India”, in the following scenarios:-

(a) **Transferring of existing contracts or work arrangements in India**: When an existing contract or work arrangement, by whatever name called, between any of the Group Entities of BATF Service Provider in India with its non-resident client is shifted or transferred to the BATF Service Provider during the subsistence of such contract or work arrangement.

(b) **Termination of existing contracts or work arrangements in India:** When an existing contract or work arrangement, by whatever name called, between any of the Group Entities of the BATF Service Provider in India with its non-resident client is prematurely terminated and a new contract or a work arrangement is signed between the BATF Service Provider with the same service recipient, directly or indirectly.

(c) Other scenarios, as may be specified by the Authority, from time to time.

SECOND SCHEDULE

Conditions for entities under Ancillary Services Framework

(Refer Regulation 19)

1. An Ancillary Service Provider, who has received a letter of continuation from the Authority, may continue to provide BATF services in its existing legal form for a period of three (3) years from the date of commencement of these regulations.
2. Such Ancillary Service Provider shall seek registration under these regulations within the said period of three (3) years from the date of commencement of these regulations, failing which it shall not be permitted to undertake BATF Services from IFSC.
3. Such Ancillary Service Provider shall ring-fence its BATF Service operations from their other existing operations in IFSC.
4. Such Ancillary Service Provider, providing BATF Services, shall adhere to the requirements specified in regulation 8, 9 and 14.

Provided that the requirements specified in regulation 8 and 9 shall not apply to the existing contracts, manpower and assets deployed at such Ancillary Service Provider prior to the commencement of these regulations.

Provided further that the requirements specified in regulation 8 and 9, shall not apply at the time of migration of BATF Services from such Ancillary Service Provider to the newly incorporated entity formed by such Ancillary Service Provider for compliance with the requirement specified under sub-regulation 4 of regulation 5.

5. Such Ancillary Service Provider shall comply with the conditions specified in regulation 11 and 12 within a period of six (6) months from the date of commencement of these regulations.

6. Such Ancillary Service Provider, providing BATF services, shall pay such fee as may be specified by the Authority.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA